न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या 225/2018/75 एलआर एक्ट

1. रामप्रताप पुत्र बीरबलराम जाति जाट (गोदारा) निवासी चक 22 एजी तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. प्रभुराम पुत्र रामप्रताप जाति जाट (गोदारा) निवासी चक 22 एजी तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. राजाराम पुत्र रामप्रताप जाति जाट (गोदारा) निवासी चक 22 एजी तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4. शिशपाल पुत्र रामप्रताप जाति जाट (गोदारा) निवासी चक 22 एजी तहसील व जिला हनुमानगढ़।
5. पृथ्वीराज पुत्र रामप्रताप जाति जाट (गोदारा) निवासी चक 22 एजी तहसील व जिला हनुमानगढ़।
6. दौलतराम पुत्र रामप्रताप जाति जाट (गोदारा) निवासी चक 22 एजी तहसील व जिला हनुमानगढ़।

–अपीलान्टस/तृतीय पक्षकार

–: बनाम :–

तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़।

– रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 11.11.2016 न्यायालय उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

प्रकरण सं. 343/2016 अनवानी प्रकरण बाबत रास्ता रिकार्ड मे दर्ज करने

उपस्थित :–

श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता अपीलाण्टस

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0

निर्णय दिनांक –31.07.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार हैं कि विचारण न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 तहसीलदार हनुमानगढ़ ने पटवारी हल्का चक 21 एजी व भू–अभिलेख निरीक्षक नौरंगदेसर की रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट की उक्त वर्णित प.न. 172/381 मु.न. 67 कि.न. 5 व 6 मे रास्ता चालू होने का मिथ्या कथन कर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। इस प्रतिवेदन के आधार पर रेस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान सरकार के प्रपत्र क्रमांक प.3(2) राज–6/2003/पार्ट/04 दिनांक 10.08.2016 एवं श्रीमान जिला कलक्टर महोदय हनुमानगढ़ के आदेश क्रमांक एफ.12(12) राज.16/3975/88 दिनांक 30.08.2016 के प्रसंग मे अपीलांट की उक्त भूमि चक 21 एजी के प. न. 172/381 मु.न. 67 कि.न. 5 व 6 मे रास्ता मौका पर चालू होने कथन कर गैरमुमकिन रास्ता दर्ज करने का प्रार्थना पत्र दिनांक 28.10.2016 को प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0 के इस प्रार्थना पत्र पर प्रभावित पक्षकारो को कोई नोटिस दिये बिना अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.11.16 को पारित किया। अपीलांट उक्त आदेश से प्रत्यक्षतः एवं सारवान रूप से प्रभावित है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट को पक्षकार नही बनाया गया इसलिये अपीलांटस यह अपील बतौर तृतीय पक्षकार पेश की है।
2. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश बिना कोई मौका की जांच किये व बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत विधि के आज्ञापक प्रावधानो के विपरीत पारित किया गया है जो काबिले खारिज है। चक 21 एजी मे पत्थर लाईन 172 पर मु.न. 173/378 मु.न. 173/379 व मु.न. 173/380 के प्रत्येक मुरब्बा के कि.न. 1, 10, 11, 20, 21 मे रास्त स्वीकृत व चालू रहा है तथा इसी रास्ता की सीध मे प.न. 173/381 मु.न. 66 के कि.न. 1 व 10 मे रास्ता मौका चालू रहा है। अपीलांट की खातेदारी भूमि प.न. 172/381 मु.न. 67 के कि.न. 5 व 6 मे कभी रास्ता चालू नही रहा। पटवारी हल्का ने प.न. 173/381 मु.न. 66 के कि.न. 1 व 10 के काश्तकार से मिलीभगत कर अपनी रिपोर्ट मे उक्त कि.न. 1 व 10 मे चालू रास्ता न दिखाकर अपीलांट की खातेदारी भूमि प.न. 172/381 मु.न. 67 कि.न. 5 व 6 मे रास्ता चालू होने की मिथ्या रिपोर्ट की जबकि अपीलांट उक्त भूमि आज तक कोई रास्ता चालू नही रहा है। राज्य सरकार के आदेश भी मौका पर चल रहे चालू रास्तो की ही गैरमुमकिन रास्ता के रूप मे दर्ज करने के निर्देश थे। राज्य सरकार के उक्त आदेश के अनुसरण मे अधीनस्थ न्यायालय को ऐसी भूमि मे रास्ता स्वीकृत करने का अधिकार नही है जिसमे रास्ता चालू ना हो। राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक–प.3(2)राज.6/2003 पार्ट 4 दिनांक 10.08.16 के आज्ञापक प्रावधानो के अनुसार भी नियम राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 व 86 के प्रावधानो की पालना आवश्यक थी तथा निमित नियम 58(3) के अनुसार किये गये दौरे की रिपोर्ट पी.31 की प्रति सम्मन द्वारा पक्षकार को दी जानी आवश्यक थी। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने प्रभावित पक्षकार को सुने बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण है। पटवारी हल्का से दिनांक 26.06.2010 को प्राप्त नक्शा व मौका के कि.न. 1, 10, 11, 20, 21 मे स्वीकृत व चालू रास्त की सीध मे ही प.न. 173/381 मु.न. 66 कि.न. 1 व 10 मे रास्ता चालू है तथा राज्य सरकार के परिपत्र के अनुसार उक्त कि.न. 1 व 10 मे चालू रास्ता ही स्वीकृत किये जाने योग्य था। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस के अन्त मे कथन किया कि अपीलांट अपनी खातेदारी भूमि पर कृषि ऋण सुविधा प्राप्त करने के लिये दिनांक 19.06.2018 को जमाबंदी की प्रमाणित प्रति पटवारी हल्का से प्राप्त की तब ज्ञात हुआ कि इंतकाल सं. 116 दिनांक 24.11.16 के जरिये अपीलांट की उक्त भूमि मे गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किया गया है। अपीलांट इस तथ्य की पड़ताल कर दिनांक 21.06.2018 को नकल आदेश प्राप्त की तब सर्वप्रथम अपीलाधीन आदेश का ज्ञान हुआ तथा ज्ञान के दिवस से यह अपील अन्दर मियाद पेश की गई। इसलिये अपील प्रस्तुत करने मे हुई देरी को माफ किया जाकर अपील ज्ञान से अन्दर समझी जावें। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश अपास्त किया जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपनी बहस में कथन किया कि राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प.3(2) राज–6/2003/पार्ट/04 दिनांक 10.08.2016 एवं श्रीमान जिला कलक्टर द्वारा दिये आदेश दिनांक 11/7/2016 की पालना मे प्रश्नगत भूमि रास्ते के संबंध मे पटवारी हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक नौरंगदेसर की रिपोर्ट के अनुसार रास्ता मौके पर चालू होने तथा उक्त रास्ता का अंकन

Web Copy - Not Official

राजस्व रिकार्ड मे नही होने की रिपोर्ट पेश गई। जिसे विचारण न्यायालय के समक्ष के पेश किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प.3(2) राज–6/2003/पार्ट/04 दिनांक 10.08.2016 एवं श्रीमान जिला कलक्टर द्वारा दिये आदेश दिनांक 30.08.2016 की पालना मे तहसीलदार हनुमानगढ़ का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर प्रस्तावित रास्ता का राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किये जाने का आदेश पारित किया गया है जो सही है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जावें।

5. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार हनुमानगढ़ ने पटवारी हल्का चक 21 एजी व भू–अभिलेख निरीक्षक नौरंगदेसर की रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट की उक्त वर्णित प.न. 172/381 मु.न. 67 कि.न. 5 व 6 मे रास्ता चालू होने का मिथ्या कथन कर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। इस प्रतिवेदन के आधार पर रेस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान सरकार के प्रपत्र क्रमांक प.3(2) राज–6/2003/पार्ट/04 दिनांक 10.08.2016 एवं श्रीमान जिला कलक्टर महोदय हनुमानगढ़ के आदेश क्रमांक एफ.12(12) राज.16/3975/88 दिनांक 30.08.2016 के प्रसंग मे अपीलांट की उक्त भूमि चक 21 एजी के प.न. 172/381 मु.न. 67 कि.न. 5 व 6 मे रास्ता मौका पर चालू होने कथन कर गैरमुमकिन रास्ता दर्ज करने का प्रार्थना पत्र दिनांक 28.10.2016 को प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0 के इस प्रार्थना पत्र पर अपीलाधीन आदेश के जरिये रास्ता का अंकन राजस्व रिकार्ड किये जाने आदेश दिये गये। जिसमे प्रभावित पक्षकार को साक्ष्य एवं सुनवाई अवसर भी नही दिया गया। जबकि राज्य सरकार के प्रपत्र परिपत्र क्रमांक प.3(2) राज–6/2003/पार्ट/04 दिनांक 10.08.2016 के मुताबिक निमित नियम 58 (3) के अनुसार किये गये दौरे की रिपोर्ट तथा पी 31 की प्रति सम्मन द्वारा पक्षकार को दी जायेगी। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने प्रभावित पक्षकार को बिना सुने अपीलाधीन आदेश किया है जो त्रुटिपूर्ण सिद्ध होने के कारण पुष्टि किये जाने योग्य नही है तथा साथ ही यह तथ्य भी बहस के दौरान प्रकट किया गया कि वादग्रस्त भूमि उपनिवेशन क्षेत्र के अन्तर्गत आती है जिसमे राज्य सरकार द्वारा जारी प्रपत्र क्रमांक प.3(2) राज–6/2003/पार्ट/04 दिनांक 10.08.2016 के प्रावधान लागू नही होते है। फिर भी प्रश्नगत रास्ता का अगर सार्वजनिक उपयोग एवं उपभोग किया जा रहा है तो राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेश) शर्ते 1955 8(2) के तहत कार्यवाही की जानी चाहिए थी तथा पटवारी हल्का से दिनांक 26.06.2010 को प्राप्त नक्शा व मौका के कि.न. 1, 10, 11, 20, 21 मे स्वीकृत व चालू रास्त की सीध मे ही प.न. 173/381 मु.न. 66 कि.न. 1 व 10 मे रास्ता चालू है तथा राज्य सरकार के परिपत्र के अनुसार उक्त कि.न. 1 व 10 मे चालू रास्ता ही स्वीकृत किये जाने योग्य था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राज्य सरकार द्वारा जारी प्रपत्र क्रमांक प.3(2) राज–6/2003/पार्ट/04 दिनांक 10.08.2016 की पालना मे उपनिवेशन क्षेत्र की भूमि मे बिना अपीलांट/प्रभावित पक्षकार को सुने प्राप्त नक्शा व मौका के कि.न. 1, 10, 11, 20, 21 मे स्वीकृत व चालू रास्त की सीध मे ही प.न. 173/381 मु.न. 66 कि.न. 1 व 10 रास्ता दर्ज करने बजाय अपीलांट की उक्त भूमि चक 21

Web Copy - Not Official

एजी के प.न. 172/381 मु.न. 67 कि.न. 5 व 6 मे रास्ता मौका पर चालू नही होने पर भी रास्ता का अंकन राजस्व रिकार्ड मे किये जाने का आदेश पारित किया है जो विधिपूर्ण नही होने के कारण पुष्टि योग्य नही है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

6. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य होने के कारण अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11.11.2016 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि उपनिवेशन क्षेत्र के अन्तर्गत आती है, यदि प्रश्नगत रास्ता का उपयोग एवं उपभोग सार्वजनिक रूप से किया जा रहा है तो राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेश) शर्ते 1955 8(2) के तहत कार्यवाही करते हुए रास्ते से प्रभावित काश्तकारान को बतौर पक्षकार संयोजित करते हुए पक्षकारान साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर प्रकरण मे पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 31.08.2018 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर.ए.एस.
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official